


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी— रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र— अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

मु.नं. 88 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए										
11.09.2019	<p>यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मगरासर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाता खंख्या 344 पुराना खाता संख्या 343 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ है। वादी का नाम सोहनराम पुत्र गेनाराम किया जाने के आदेश फरमावे।</p> <p>वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में वादी का नाम सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मगरासर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाता खंख्या 344 पुराना खाता संख्या 343 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> <table border="1" data-bbox="406 1209 1250 1600"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>ग्राम</th> <th>खाता संख्या</th> <th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि )</th> <th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मगरासर</td> <td>344/343</td> <td>सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मगरासर</td> <td>सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर</td> </tr> </tbody> </table> <p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़ </p>	क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि )	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)	1	मगरासर	344/343	सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मगरासर	सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर	17
क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि )	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)								
1	मगरासर	344/343	सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मगरासर	सोहनराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मगरासर								

